UPMT010018242026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6191}
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–864/2026
शैलेन्द्र पचौरी प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. अभियुक्त **शैलेन्द्र पचौरी** की ओर से मु.अ.सं. 603/2025, धारा– 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा में स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि SMFG India Home Finance Company Ltd एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No.111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai, Tamil Nadu, Pincode 600116 में तथा शाखा कार्यालय Second Floor, Shop No.78–7C, Moti Manzil, Pocket–C, Radhika Vihar, Phase–2, NH–2, Mathura–281004 (UP) में स्थित है तथा प्रार्थी/वादी कंपनी की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। प्रार्थी कंपनी अपने ग्राहकों को संविदा के आधार पर उचित ब्याज दर पर संपत्ति बंधक रखकर व्यापार ऋण, गृह ऋण आदि की सुविधा प्रदान करती है। निम्नलिखित चार अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी कंपनी से अपनी–अपनी संपत्तियां बंधक रखकर गृह ऋण प्राप्त किया था—आकाश पचौरी पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311739336, ऋण राशि ₹12,00,000), प्रेम चंद पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311927771, ऋण राशि ₹20,40,000), भरत लाल पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538311987915, ऋण राशि ₹17,50,000) तथा शिव कुमार पुत्र नामालूम (ऋण खाता सं. 616538312085814, ऋण राशि ₹30,00,000)। ऋण प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त ऋणियों/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताते हुए सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर प्रार्थी कंपनी द्वारा उन्हें ऋण प्रदान किया गया, परंतु ऋण लेने के पश्चात उन्होंने मासिक किस्तों का भुगतान नहीं किया तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संपर्क करने पर वे दिए गए पते पर नहीं मिले और वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वे वहां नहीं रहते हैं। जांच करने पर पता चला कि प्रार्थी कंपनी के कर्मचारी कर्मचारी कोड 220161 शैलेन्द्र पचौरी पुत्र उमेश पचौरी निवासी 31 नगला चंदभान होलिका

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.19 10:22:29 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्थान के सामने दीन दयाल धाम पोस्ट मखदूम जिला मथुरा–281122 (Relationship Manager), कर्मचारी कोड 217670 योगेन्द्र सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह निवासी रोशन नगर नयी आबादी गोबर चौकी किरण पब्लिक स्कूल के पास ताजगंज आगरा–282001 (Branch Credit Manager) तथा कर्मचारी कोड P335107 प्रद्युम्न कटारा पुत्र भूदेव कटारा निवासी मुडेशी पोस्ट धनगांव जिला मथुरा–281005 (Vendor, Dax Officer) ने कृष्ण कुमार लोन एजेंट से साँठगाँठ कर तथा उपरोक्त अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित धोखाधड़ी के आशय से एक गैंग (सिंडीकेट) बनाकर षड्यंत्र रचा और फर्जी KYC व अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी कंपनी से ऋण दिला दिया, जबकि उक्त बंधक संपत्तियों का सत्यापन कंपनी के लीगल वेंडर धीरज गोस्वामी द्वारा किया गया था। खोजबीन के बाद तीन अभियुक्त—आकाश पचौरी, प्रेम चंद और भरत लाल—का पता चला जो सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि बेरोजगार एवं नशे के आदी पाए गए, जबकि अभियुक्त शिव कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इस प्रकार अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर षड्यंत्र के तहत फर्जी सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर प्रार्थी कंपनी से धोखाधड़ी की नियत से ऋण प्राप्त कर राशि का बंदरबांट कर लिया। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का आशय प्रारंभ से ही प्रार्थी कंपनी के साथ छल–कपट एवं धोखाधड़ी करने का था और उन्होंने स्वयं को लाभ पहुँचाने तथा प्रार्थी कंपनी को हानि पहुँचाने के आपराधिक मन्तव्य से फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर कंपनी को छलपूर्वक ऋण देने के लिए प्रेरित किया और ऋण राशि हड़प ली। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 603/2025 अंतर्गत धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) अभियुक्त शैलेन्द्र पचौरी व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में अन्य कर्मचारियों सहित अनावश्यक रूप से नामित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 5.1.2024 को कम्पनी में रिलेशनशिप मैनेजर इन सेल्स के पद पर तैनात किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 8.1.2024 को नौकरी ज्वाईन करते हुये पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य व दायित्व का निर्वहन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कार्य केवल ग्राहकों से सम्बन्ध स्थापित करते हुये उन्हें कम्पनी की योजनाओं से अवगत कराते रहने के अलावा अन्य कोई कार्य या दायित्व नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई कार्य ऋण उपलब्ध कराने मे वांछित दस्तावेजों के सम्बन्ध में उनके सत्यापन आदि कराने से सम्बन्धित नहीं है। वादी द्वारा आरोपित सह अभियुक्तगण ग्राहकों को ऋण प्रदान करने की कोई सिफारिश प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ना तो की गयी न उक्त कार्य में प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आर्थिक लाभ हुआ है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध दर्शायी गयी धाराओं का कोई अपराध सृजित नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से अमानत

में खयानत धोखाधडी या कूट रचित दस्तावेज तैयार किया जाना या उनका प्रयोग किये जाने का साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक व्यक्ति कृष्ण कुमार लौन एजेन्ट से साठ गांठ कराकर गैंग बनाकर फर्जी के० वाई०सी० व अन्य कूट रचित दस्तावेज तैयार कर ऋण दिलाये जाने का आरोप लगाये जाने के बावजूद उपरोक्त कृष्ण कुमार को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और वादी द्वारा निर्दोष प्रार्थी/अभियुक्त को नामित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत का दुरूपयोग किये जाने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित रूप से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचते हुए फर्जी KYC एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर ऋण स्वीकृत कराकर ऋण राशि के गबन का आरोप आक्षेपित है।

8. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी कंपनी, जो एक विधिवत पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, द्वारा ग्राहकों को संपत्ति बंधक रखकर ऋण प्रदान किया जाता है। सह–अभियुक्तगण आकाश पचौरी, प्रेम चंद, भरत लाल एवं शिव कुमार ने स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताते हुए फर्जी सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया। बाद में किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तथा वे अपने पते पर भी नहीं मिले। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कंपनी के कर्मचारीगण, जिनमें वर्तमान आवेदक भी सम्मिलित है, ने एक लोन एजेंट के साथ

मिलकर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचते हुए फर्जी KYC एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर ऋण स्वीकृत कराया। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा संगठित रूप से धोखाधड़ी कर ऋण राशि का गबन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण एक साधारण व्यक्तिगत विवाद न होकर एक सुनियोजित एवं संगठित आर्थिक अपराध का मामला है, जिसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक वित्तीय संस्था के साथ धोखाधड़ी की गयी है। यह कृत्य न केवल वादी कंपनी के प्रति छल–कपट का द्योतक है, बल्कि वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः–18.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191